

15.5.18

50000000

प्रवासी गैर हुई। शर्मा के वकील हाजिर। मुना गया। शर्मा  
 के वकील ने निवेदन किया कि ग्राम साँपला की जमाबंदी  
 वर्ष 1971-74 के खाल स. नया-पुराना 1068-1019 में दर्ज  
 खसरा नम्बर 2617, 2696, 2725, 2733, 3199 वरुवा इकरा  
 0-2600, 0-5600, 1-6600, 2-5300, 2-8700 कुल मिला  
 इकरा 7-8800 तथा खाल स. नया-पुराना 1070-1018 में  
 अंशित खसरा नम्बर 2691 वरुवा 0-0100 तथा 2693  
 वरुवा 0-1500 की पत्थरगढी होने की शर्पना ही है।

शर्मा द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान कराने का कोर्ड  
 इस्तेमाल नहीं किया है जिससे यह खसरा  
 सिद्ध नहीं हो रहा है कि सीमाज्ञान ~~की~~ हुआ है अतः  
 शर्मा नियमानुसार थुल्ल जमा कराने को सीमाज्ञान किया  
~~जिससे~~, जाने हेतु पहली लहर सखाइ को आदेश  
 दिया जाता है पूर्व में सीमाज्ञान होने का इस्तेमाल तब में  
 उपलब्ध हो तो हाथीगण नियमानुसार थुल्ल जमा करा दे  
 तो पत्थरगढी की जाये। खर्चा करिडेन अपना अपना वहन  
 करे। आदेश मजबूत आम साँपला में मुनाषा गया।

**अध्यक्ष**

लोक अदालत शिविर  
सरवाड़ (अजमेर)

लोक अदालत शिविर  
सरवाड़ (अजमेर)

लोक अदालत शिविर  
सरवाड़ (अजमेर)